

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/1882

भोपाल, दिनांक 01-04-24

प्रेषक:-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक /FP/MP/RAIL/ 154962/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR015/2023-BHO दिनांक 12.02.2024

----0----


कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The revised KML of proposed diversion area i.e. 244.039 with the Station area marked, shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित रेलवे लाईन एवं स्टेशन एरिया की KML file चिह्नित कर पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
2	In response to point 6, all components in the performa of cost benefit analysis neither quantified in monetary terms nor the cost-benefit ratio has been furnished. The same shall be submitted correctly.	आवेदक संस्थान द्वारा संशोधित Cost-Benefit analysis ऑनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक (G)(i)(a) में अपलोड कर दिया गया है।
3	In reply to clarification on point 9 of this office EDS dated 18.12.2023 the same KML file has been uploaded against 25.0 ha patch and 30.00 ha patch in Sardarpur Range-476. Rectification is still needed and the same needs be corrected accordingly in online portal.	वन मण्डलाधिकारी, धार द्वारा कक्ष क्रमांक 476 की 25.00 एवं 30.00 हेक्टेयर की संशोधित KML file ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।

<p>4 The reply related to violation is not as per the provisions. The State Govt needs to initiate action in accordance with FCA and Rules taking action against the authority responsible for violation of FCA, 1980 and against the officials who have not been able to prevent violation of FCA, 1980. Detailed report needs to be submitted in this regard.</p>	<p>वन मण्डलाधिकारी, अलीराजपुर द्वारा अवगत कराया है कि छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन 6.654 हेक्टेयर अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारणवश कलेक्टर जिला अलीराजपुर द्वारा वर्ष 2018 में भूमि अधिग्रहण कर रेलवे विभाग को हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि संरक्षित वन घोषित करने के बाद राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नहीं किया गया था। जिस कारण से आवेदक विभाग द्वारा उक्त वनभूमि को राजस्व भूमि मानकर निर्माण कार्य किया गया है। (अधिग्रहण आदेश संलग्न)</p> <p>वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन रोकने में असमर्थ रहने के संबंध में वन मण्डल अधिकारी अलीराजपुर द्वारा दोषी पाये गये वन अधिकारियों/कर्मचारियों को लघुशास्ती परिनिन्दा से दण्डित किया गया है। इस संबंध में पूर्व में कार्यालयीन पत्र दिनांक 18.01.2024 से विस्तृत विवरण से आपको अवगत कराया गया है।</p>
---	---

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(एच.एस. मोहन्ता)


भोपाल, दिनांक 01-04-24

पृ. क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/1883

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धार एवं अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
3. उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम रेलवे, बड़ोदरा।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल